N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0218   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/08/2025 18:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 22/08/2025   Date To (दिनांक तक): 23/08/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 12:05 बजे   Time To (समय तक): 14:35 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/08/2025   Time (समय): 14:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/08/2025 18:33:12 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 320 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): POLICE THANA CHANDERIYA, JILA CHITTORGARH

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PARTAP SINGH KISHNAWAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** UDAY SINGH KISHNAWAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ROLAHEDA ROAD/SHIV VATIKA KE PASS, POLICE THANA CHANDERIYA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ROLAHEDA ROAD/SHIV VATIKA KE PASS, POLICE THANA CHANDERIYA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUBHASH CHANDRA YADAV		पिता:RAMESHWAR LAL YADAV	1. KALGOAN,BUHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 9,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो चितोड़गढ विषय - कानुनी कार्यवाही करने हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे बेटे प्रदीप सिह के विरूध पुलिस थाना चन्देरिया में मारपीट प्रकरण दर्ज है जिसकी जाच चन्देरिया थाने के A.S.I सुभाष यादव दवारा कि जा रही है अभी 2-3 दिन पुर्व उक्त A.S.I साहब ने हमे थाने में बुलाया तथा केस को हल्का करने कि ऐवज में तथा थाने पर ही जमानत ले लेने और चालान पेश करने की ऐवज 20000/- हजार की मांग कर धमकाया की पेसे नही दिये तो सबको थाने में बन्द कर दुगां और मेरे बेटे के साथ मारपीट की थी में उक्त A.S.I को कोई रिश्वत नही देना चाहता हु बल्की रिश्वत लेते हुए रगे हाथ पकडवाना चाहता हु मेरी A.S.I से कोई रजिश व द्रेषता नही है ना ही कोई रूपये पेसे बकाया है लेन देन के उधार के रिपोट पर कार्यवाही करवाऐ दिनाक प्रार्थी 22/8/2025एसडी प्रताप सिह किशनावत रोलाहेडा रोड चन्देरिया शिव वाटिका के पास . कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तोड़गढ़ महोदय मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 22.08.2025 को समय करीब 12.05 पीएम पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री प्रताप सिंह किशनावत ने समय करीब 11.06 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उसके मोबाईल से कॉल कर बताया कि मैंने आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल कर श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध रिश्वत राशि मांगने के सम्बन्ध में शिकायत की जिस पर उन्होने अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके मोबाईल नम्बर देकर आप से वार्ता करने की कहा, जिस पर परिवादी से पुछताछ करने पर परिवादी ने बताया कि मेरे बेटे प्रदीप सिंह के विरूद्ध पुलिस थाना चन्देरिया में मारपीट का प्रकरण दर्ज है जिसकी जांच चन्देरिया थाने के एएसआई सुभाष यादव द्वारा की जा रही है, अभी 2-3 दिन पूर्व उक्त एएसआई साहब ने हमें थाने में बुलाया तथा मारपीट नही करने एवं केस को हल्का करने की एवज में तथा थाने पर ही जमानत ले लेने और चालान पेश करने की एवज 20000/- रूपये की मांग कर धमकाया जा रहा है आप कानूनी कार्यवाही करवाये। जिस पर परिवादी को हिदायत दी कि अपना शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर अग्रिम कार्यवाही कराने हेतु ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पर उपस्थित होवें। इस समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री प्रताप सिंह किशनावत उर्फ प्रताप लाल पुत्र श्री उदय सिंह किशनावत जाति रावणा राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी रोलाहेडा रोड चन्देरिया (शिव वाटिका के पास) पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ ने कार्यालय भ्रनिब्यूरो चित्तौडगढ़ पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे बेटे प्रदीप सिंह के विरूद्ध पुलिस थाना चन्देरिया में मारपीट का प्रकरण दर्ज है जिसकी जांच चन्देरिया थाने के एएसआई सुभाष यादव द्वारा की जा रही है अभी 2-3 दिन पूर्व उक्त एएसआई साहब ने हमें थाने में बुलाया तथा केस को हल्का करने की एवज में तथा थाने पर ही जमानत ले लेने और चालान पेश करने की एवज 20000/- रूपये की मांग कर धमकाया कि पैसे नही दिये तो सबको थाने में बन्द कर दूगां और मेरे बेटे के साथ मारपीट की थी, मैं उक्त एएसआई को कोई रिश्वत नही देना चाहता हु बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हु मेरी एएसआई से कोई रंजिश व द्वैषता नही है ना ही कोई रूपये पैसे बकाया है लेन देन के, उधार के। रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाये। परिवादी से मजीद दरियाप्त की गई तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को सही होना बताया तथा उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना बताया तथा बताया कि चन्देरिया थाने के एएसआई श्री सुभाष जी यादव मेरे बेटे श्री प्रदीप सिंह के विरूद्ध दर्ज मारपीट के प्रकरण में केस को हल्का करने की एवज में तथा थाने पर ही जमानत ले लेने और मारपीट नही करने एवं चालान पेश करने की एवज 20000/- रूपये की मांग कर धमकाया जा रहा है तथा रिश्वत राशि नही देने पर सबको थाने मे बन्द करने की धमकी दी है तथा मेरे बेटे के साथ भी मारपीट की है। मैं उक्त एएसआई श्री सुभाष चन्द्र को रिश्वत नही देना चाहता हु बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हु । कृपया कानूनी कार्यवाही करावें तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी एएसआई श्री सुभाष चन्द्र से कोई आपसी रंजिश नही है एवं ना ही उधार का लेन-देन बकाया है। परिवादी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य एवं मजीद दरियाप्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जायेगा। इसके बाद समय करीब 12.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 को कार्यालय का डीवीआर मय खाली मैमोरी कार्ड लेकर अपने कक्ष में बुलाया गया तथा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 का परिवादी से आपस में परिचय करवाया तथा दोनो के

मोबाईल नम्बर एक-दूसरे को दिये गये तथा निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से परिवादी को डीवीआर संचालन की विधि समझाई गई तथा परिवादी को श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने कहा कि अभी एएसआई श्री सुभाष चन्द्र कोर्ट में है तथा मुझे आज शाम 8 बजे तक पुलिस थाना चन्देरिया में मिलने के लिए बुलाया है। परिवादी ने बताया कि अभी मुझे कोई काम है मैं शाम को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के लिए श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 मुझे फोन कर देगें, मैं इनको जगह बता दुंगा वहां से यह मुझे साथ ले लेगे और मैं इनके साथ जाकर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करा दुंगा। परिवादी को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत दी गई तथा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को परिवादी का प्रार्थना पत्र सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखने हेतु सुपुर्द कर निर्देशित किया कि शाम करीब 8 बजे परिवादी से सम्पर्क कर कार्यालय का सरकारी डीवीआर मय खाली मैमोरी कार्ड लेकर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि की मांग का नियमानुसार सत्यापन करावें। इसके बाद समय करीब 08.10 पीएम पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैंने परिवादी को समय करीब 08.04 पीएम पर कॉल कर बात की तो परिवादी ने मुझे भीलवाड़ा रोड पर स्थित रॉयल इनफिल्ड बुलेट मोटर माईकिल के शॉरूम के सामने बुलाया है। इस पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय का डीवीआर मय खाली मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के पास जाकर उसे हमरा ले रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराने हेतु बजानिब भीलवाड़ा रोड होते हुए चन्देरिया पुलिस थाने की ओर रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 09.20 पीएम पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सरकारी डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के पेश करते हुए बताया कि मैं ब्यूरो चौकी से रवाना होकर भीलवाड़ा रोड स्थित रॉयल इनफिल्ड बुलेट मोटरसाईकिल के शॉरूम के सामने पहुचा जहाँ परिवादी उपस्थित मिला जिसे अपने साथ ले चन्देरिया थाने से कुछ पहले पहुच परिवादी को आवश्यक समझाईश कर समय करीब 08.21 पीएम पर डीवीआर चालु कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु चन्देरिया थाने के लिए रवाना कर मन् हैड कानि0 परिवादी के पीछे रवाना होकर चन्देरिया थाने के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के आने का इन्तजार करने लगा। कुछ समय बाद परिवादी ने वापस आकर डीवीआर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैंने थाने में जाकर एएसआई श्री सुभाष चन्द्र से बातचित की है जिसने मेरे से 10 हजार रूपये रिश्वत के मांगे है। उक्त वार्ता को मैंने आपके विभाग के डीवीआर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात् निर्देशानुसार परिवादी को कल दिनांक 23.08.2025 को समय 10 एएम पर रिश्वत में ली जाने वाली राशि अपने साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत दी तथा मैं वहा से रवाना होकर कार्यालय में हाजिर आया हु । डीवीआर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होने की पुष्टि होना पाया गया। सरकारी डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित रखने हेतु श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द किया गया। कल दिनांक 23.08.2025 को समय 10 एएम पर गवाहों की तलबी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी तथा समस्त स्टॉफ को भी कार्यवाही हेतु कल दिनांक 23.08.2025 को कार्यालय समय पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जावेगा। इसके बाद दिनांक 23.08.2025 को समय करीब 10.00 एएम कार्यालय स्टॉफ के सभी सदस्य उपस्थित है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से उपनिदेशक उद्यान विभाग चित्तौडगढ़ से एक गवाह भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्तौडगढ़ से एक गवाह भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई तथा आज शनिवार का अवकाश होने से जरिये दूरभाष सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क किया जाकर स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु कहा गया एवं उक्त दोनो तहरीर भी आने वाले सम्बन्धित गवाहो को पृथक से उनके विभाग मे देने हेतु सुपुर्द कर उनकी ड्युटी बाबत् सम्बन्धित विभाग से आदेश प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये जायेगें। इसके बाद समय करीब 11.00 एएम पर दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित आये जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री विमल सिंह राजपूत पुत्र श्री चन्दन सिंह जाति राजपूत उम्र 33 वर्ष निवासी थल खुर्द तहसील माण्डलगढ पुलिस थाना काछोला जिला भीलवाड़ा हाल कृषि अधिकारी उद्यान द्वितीय, कार्यालय उप निदेशक उद्यान चित्तौड़गढ होना बताया व दूसरे गवाह ने अपना नाम श्री विनोद कुमार व्यास पुत्र स्व. श्री शम्भू लाल व्यास जाति ब्राहम्ण उम्र 42 वर्ष निवासी सेमलिया पोस्ट चोगावड़ी तहसील गंगरार पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने बाबत् पूछा गया तो दोनो गवाह ने अपनी-अपनी सहमति मौखिक रूप से प्रदान की। दोनो गवाह को स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु पूर्व में जारी तहरीर अपने-अपने विभाग की दी गई तथा कहा गया कि उक्त तहरीर अपने विभाग में दे देवे तथा अपने कार्यालय से सम्पर्क कर आज ही आप दोनो के ड्युटी आदेश जारी करवाकर इस कार्यालय में भिजवावें। दोनो गवाहो को कार्यालय में बिठाया गया। परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय करीब 12.30 पीएम पर परिवादी श्री प्रताप सिंह किशनावत उपस्थित कार्यालय आया है। परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाह का आपस में परिचय करवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से कार्यवाही से सम्बन्धित परिवादी का प्रार्थना पत्र व दिनांक 22.08.2025 को की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 मंगवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाह को परिवादी द्वारा दिनांक 22.08.2025 को प्रस्तुत स्वयं

का प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया व दिखाया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना बताया एवं स्वयं का हस्तलिखित होना एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना बताया। दोनो गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहानों को डिवीआर में रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.08.2025 को चालू कर वार्ता के मुख्य अंशों को सुनाया गया तो दोनों गवाहानों ने रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि करना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसकिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के पुनः कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखने हेतु श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सम्भलाया गया। इसके बाद समय करीब 1.05 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री प्रताप लाल उर्फ प्रताप सिंह किशनावत जाति रावणा राजपूत निवासी रोला हेड़ा रोड़ शिव वाटिका के पास चन्देरिया पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री प्रताप लाल उर्फ प्रताप सिंह किशनावत ने अपनी व्यवस्थानुसार अपने पास से निकालकर पॉच-पॉच सौ रूपये के 18 नोट कुल नो हजार रूपये (9,000 रूपये) पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है- 1. एक नोट 500/- रूपये का 1PD 002952 2.एक नोट 500/- रूपये का 9VF 860128 3.एक नोट 500/- रूपये का 4EV 368172 4.एक नोट 500/- रूपये का 4EV 368173 5.एक नोट 500/- रूपये का 4EV 368177 6.एक नोट 500/- रूपये का 7RG 918195 7.एक नोट 500/- रूपये का 2QQ 726411 8. एक नोट 500/- रूपये का 9FV 235657 9. एक नोट 500/- रूपये का 5QN 465433 10.एक नोट 500/- रूपये का 5PE 696413 11.एक नोट 500/- रूपये का 9KG 643629 12.एक नोट 500/- रूपये का 4DA 661866 13.एक नोट 500/- रूपये का 4DA 661867 14. एक नोट 500/- रूपये का 6VG 705305 15.एक नोट 500/- रूपये का 5EN 725808 16.एक नोट 500/- रूपये का 6HB 740068 17.एक नोट 500/- रूपये का 9CK 918273 18.एक नोट 500/- रूपये का 0HM 599823 उक्त नोटो पर श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 नं. 105 को मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री विमल सिंह राजपूत द्वारा परिवादी की तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं होने पर उक्त नोटों को पॉलिथीन की थैली में बरसात होने से रखकर थैली को लपेटकर परिवादी श्री प्रताप लाल उर्फ प्रताप सिंह किशनावत की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री सुनिल कुमार कानि. से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से बाहर फिकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया तथा श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय मालखाने मे सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा रिश्वती राशि देने के बाद गोपनीय निर्धारित ईशारा (अपनी जेब मे कागज निकालने तथा हाथ हिलाने) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा श्री सुनिल कुमार कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पैकेट ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री प्रताप लाल उर्फ प्रताप सिंह किशनावत को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। इसके बाद समय करीब 01.36 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री प्रताप सिंह व आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ, के मध्य समय 01.36 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करायी गई उक्त

वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार करवाई जावेगी। इसके बाद समय करीब 02.00 पीएम पर इस समय श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से मालखाने से सैमसंग कंपनी का सरकारी मोबाईल एवं नया मैमोरी कार्ड निकलवाकर मौके की कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि बरामदगी एवं आरोपी के निवास की खाना तलाशी की विडियोग्राफी करने हेतु दिनांक व समय वर्तमान समय का सेट कर दुरूस्त हालत में श्री प्रवीण सिंह कानि0 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि बाद विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करें। इसके बाद समय करीब 02.10 पीएम पर परिवादी श्री प्रताप सिंह किशनावत को उसकी स्वयं की स्कूटी से पुलिस थाना चन्देरिया की ओर रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 के स्वयं के निजी वाहन नम्बर आरजे 09 सीडी 8626 में स्टाफ के सदस्य श्री ओमप्रकाश सउनि, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि, श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं स्वतन्त्र गवाह श्री विमल सिंह राजपूत को पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ की ओर रवाना कर इनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कुमार व्यास व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0, महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर, श्री प्रवीण सिंह कानि0 मय सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड के हमराह ले मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिह के ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना चन्देरिया की ओर रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 02.20 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कुमार व्यास व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0, महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर, श्री प्रवीण सिंह कानि0 जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा पुलिस थाना चन्देरिया से कुछ पहले पहुचे जहां पर परिवादी अपनी स्वयं की स्कुटी के साथ खडा मिला तथा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 के स्वयं के निजी वाहन में स्टाफ के सदस्य श्री ओमप्रकाश सउनि, श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि, श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं स्वतन्त्र गवाह श्री विमल सिंह राजपूत भी उपस्थित मिले। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर उसकी स्कुटी से पुलिस थाना चन्देरिया के लिए रवाना किया तथा श्री ओमप्रकाश सउनि व गवाह श्री विमल सिंह राजपूत को परिवादी के पीछे-पीछे पैदल रवाना किया तथा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को उसके स्वयं के निजी वाहन से अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के पुलिस थाना चन्देरिया के आस-पास जाने के लिए रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय पूर्वानुसार ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन से रवाना हो पुलिस थाना चन्देरिया के कुछ पास पहुच वाहनों में ही बैठे रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 03.00 पीएम पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री प्रताप लाल उर्फ प्रताप सिंह किशनावत ने आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ को रिश्वत राशि 9,000 रूपयें देने का पूर्व निर्धारित ईशारा पुलिस थाना चन्देरिया के कांच के लगे हुए एल्युमिनियम के गेट के पास पहुंचकर अपनी जेब से कागज निकालने तथा हाथ हिलाने का ईशारा करीब समय 2.35 पी.एम. पर किया जिसे श्री ओम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक एवं श्री विमल सिंह राजपूत ने देखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान को ईशारा किया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता एवं स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कुमार व्यास व अन्य के सरकारी वाहन एवं निजी वाहन से थाना परिसर में गये एवं श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक व गवाह श्री विमल सिंह राजपूत तेज कदमो से चलते हुए पुलिस थाना परिसर में गये जहाँ पुलिस थाना चन्देरिया के कांच के लगे हुए एल्युमिनियम के गेट के पास खड़े परिवादी के पास पहुचें जहाँ परिवादी खड़ा था तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे हैड कानि. जितेन्द्र सिंह को दिया जिसने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने हाथ से ईशारा कर बताया कि द्वितीय अधिकारी के कक्ष के गेट के पास खड़े एक वर्दीधारी सहायक उप निरीक्षक की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री सुभाष चन्द्र जी यादव एएसआई साहब है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से यही पर इसी कक्ष में सामने लगी कुर्सी पर बैठे हुए श्री सुभाष चन्द्र जी यादव एएसआई साहब ने 9,000 रूपयें रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर दोनो हाथो से गिनकर एएसआई साहब ने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बायी जेब में मेरे सामने रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त वर्दीधारी सहायक उप निरीक्षक पुलिस कार्मिक के दोनो हाथ पौंचो से उपर कलाई को एक हाथ श्री सुनिल कुमार कानि. ने एवं दूसरे हाथ को हैड कानि श्री जितेन्द्र सिंह ने पकड़ लिया। उक्त वर्दीधारी सहायक उप निरीक्षक पुलिस कार्मिक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देते हुये आने के प्रयोजन के मन्तव्य से अवगत कराया गया तथा उक्त वर्दीधारी सहायक उप निरीक्षक पुलिस कार्मिक से अपना नाम पता पूछा तो उक्त वर्दीधारी सहायक उप निरीक्षक पुलिस कार्मिक ने अपना नाम सुभाष चन्द्र यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव उम्र 55 वर्ष निवासी कलगांव पुलिस थाना सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान) हाल निवासी मकान नम्बर 05 आर.के.कॉलोनी चित्तौड़गढ पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ होना बताया, जिस पर आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक को परिवादी श्री प्रताप लाल उर्फ प्रताप सिंह किशनावत से 9,000 रूपये रिश्वत राशि किस बात के ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक घबरा गया तथा कहने लगा कि श्री प्रताप सिंह किशनावत के पुत्र श्री प्रदीप सिंह के विरूद्व पुलिस थाना चन्देरिया में प्रकरण

संख्या 102/2025 धारा 115(2) 126(2) बीएनएस 2023 दर्ज होकर मेरे पास अनुसंधानाधीन है जिसमें मैं अनुसंधान अधिकारी हू। उक्त प्रकरण में परिवादी श्री संजय दमामी निवासी चन्देरिया द्वारा मुझ अनुसंधान अधिकारी को श्री प्रताप सिंह किशनावत के पुत्र से राजीनामा करने के रूपयें मांग रहा था। जिसके लिये मैनें श्री प्रताप सिंह किशनावत को कल दिनांक 22.08.2025 को शाम के समय मेरे पास पुलिस थाना चन्देरिया बुलाया था, तब मैंने इनके पुत्र श्री प्रदीप सिंह की जमानत लेने, केस को कमजोर करने एवं जल्दी चालान पेश करने के लिये मेरे द्वारा 20,000 रूपयें के लिये कहा था तो इन्होने 10,000 रूपयें देना तय हुआ था। आज अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास पुलिस थाना चन्देरिया के चन्देरिया के कांच के लगे हुए एल्युमिनियम के गेट के अन्दर डीओ बैठक के सामने द्वितीय अधिकारी कक्ष में श्री प्रताप सिंह किशनावत आया था और मुझे 9,000 रूपयें दिये थे, जो मैने गिनकर मेरी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बायी जेब में रखे है जो पड़े हुए है । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनो के संबंध में परिवादी श्री प्रताप सिंह किशनावत से पूछा गया तो उसने बताया कि श्री सुभाष चन्द्र यादव एएसआई साहब सही बात नहीं बता रहे है मेरे पुत्र श्री प्रदीप सिंह के विरूद्ध जो पुलिस थाना चन्देरिया में प्रकरण संख्या 102/2025 में दर्ज है जिसका अनुसंधान श्री सुभाष चन्द्र जी यादव एएसआई साहब द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा मेरे पुत्र की पुलिस जमानत लेने, केस को हल्का करने एवं जल्दी चालान पेश करने के बदले पूर्व में मेरे से 20,000 रूपयें मांगे थे फिर मैं कल दिनांक 22.08.2025 को ब्यूरो कार्यालय शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मैने इनके साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.08.2025 शाम के समय की तो इन्होने मेरे से 20,000 रूपयें मांगे गये फिर मेरे द्वारा निवेदन करने पर 10,000 रूपयें आज दिनांक 23.08.2025 को देना तय हुआ था तथा मेरे पुत्र को साथ लेने के लिये कहा था। जो आज मैने मेरी व्यवस्थानुसार 9,000 रूपयें मैने अभी कुछ समय पूर्व दिये थे जो एएसआई साहब ने गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की सामने की बायी जेब में रखने के बाद मैने पूर्व निर्धारित ईशारा पुलिस थाना चन्देरिया के कांच के लगे हुए एल्युमिनियम के गेट के बाहर खड़ा होकर किया। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के संबंध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक से पूछा तो आरोपी ने बताया कि साहब गलती हो गई है। उपरोक्त तथ्यो से पुष्ठि होती है कि आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के बारे में प्रमाणिकता होने पर श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन मे से श्री ओम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में श्री ओम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH- 2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 मे चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गवाह श्री विमल सिंह राजपूत कृषि अधिकारी को आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक के पहनी हुई वर्दी की पेन्ट बरंग खाकी की सामने की बायी जेब से 500-500 रूपये के नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया जाकर फर्द पेशकशी नोट नम्बर से मिलान किया गया तो 500-500 के 18 नोट कुल 9000 रूपये राशि हुबहु हुये। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उपरोक्त बरामद शुदा नोटों पर एक सफेद कागज में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा सिल्डचिट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट जिसकी बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त पहनी हुई वर्दी की पेन्ट बरंग खाकी को ससम्मान उतराई जाकर दूसरे पहनने की पेन्ट शर्ट मगंवाये जाकर पहनाई गई तथा टेªप बॉक्स में सें एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में श्री ओम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक के पहनी हुई वर्दी की पेन्ट जिसकी सामने की बायी जेब जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उल्टा कर के डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P-1 व P-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की

बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पहनी हुई वर्दी की पेन्ट बरंग खाकी को वजह सूबत जप्त कर सफेद कपडे की थैली में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा सिलचिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक को परिवादी के उक्त तथ्य के सम्बन्ध में पुनः पूछा तो आरोपी द्वारा बताया कि साहब गलती हो गयी है, आयन्दा ऐसी गलती नही होगी। मुझे माफ कर दो। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक से परिवादी के पुत्र श्री प्रदीप सिंह के खिलाफ पुलिस थाना चन्देरिया पर प्रकरण संख्या 102/2025 धारा 115(2),126(2) बीएनएस 2023 की अनुसंधान पत्रावली ट्रेप कार्यवाही में वांछित होने से चाही गई तो आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपने अनुसंधान रिकॉर्ड में से मूल अनुसंधान पत्रावली प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त प्रकरण में अनुसंधानाधीन होकर परिवादी के पुत्र श्री प्रदीप सिंह के विरूद्व जुर्म धारा 117(2), 126(2) बीएनएस 2023 में अपराध प्रमाणित होने तक की केस डायरी जारी की हुई है। उक्त प्रकरण काबिल जमानत होने से श्री प्रदीप सिंह के पुलिस जमानत लिये जाने एवं चालानी निर्णय प्राप्त किया जाना शेष है। उक्त मूल अनुसंधान पत्रावली पुलिस थाना में कार्यरत श्री देवेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक को उक्त पत्रावली सुपुर्द करते हुए उक्त पत्रावली की छायाप्रतिया करवाई जाकर प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर कुछ समय पश्चात श्री देवेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रतिया पेश की जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया। उपरोक्त अनुसंधान पत्रावली से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में परिवादी के पुत्र श्री प्रदीप सिंह की पुलिस जमानत लिया जाना एवं चालान पेश किया जाना का कार्य पैण्डिग होना पाया गया है तथा घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पुलिस थाना चन्देरिया पर ही पृथक से तैयार की गई तथा मौके पर ही उपरोक्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी श्री प्रवीण सिह कानि0 द्वारा सरकारी मोबाईल से करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त फर्द समय करीब 4.10 पीएम पर सम्पन्न की गई। इसके बाद समय करीब 04.35 पीएम पर चूंकि थाने पर आमजन व परिवादियों की आवाजाही ज्यादा होने तथा पुलिस थाना चन्देरिया रोड पर स्थित होने से अग्रिम कार्यवाही व्यवस्थित रूप से सम्पन्न करने हेतु ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पर जाकर किया जाना उचित होने से अब तक की कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस थाना चन्देरिया से परिवादी श्री प्रताप सिंह किशनावत को आवश्यक हिदायत कर उसकी स्वयं की स्कूटी से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना कर परिवादी के साथ-साथ श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को उसके स्वयं के निजी वाहन में स्टॉफ के सदस्य श्री दलपत सिंह सउनि, श्री जितेन्द्र कुमार कानि, श्री सुनील कुमार कानि0 को ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री विमल सिंह राजपूत व श्री विनोद कुमार व्यास एवं आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव को साथ ले एवं टेªप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0, महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर, श्री प्रवीण सिंह कानि0 को हमराह ले मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री एवं जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल सिल्डचिट शुदा धोवन की शीशीया, सिल्ड पेन्ट का पैकेट, बरामदशुदा रिश्वत राशि, जब्त रिकॉर्ड के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिह के पुलिस थाना चन्देरिया से आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 04.45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री विमल सिंह राजपूत व श्री विनोद कुमार व्यास एवं आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0, महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर, श्री प्रवीण सिंह कानि0 मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री एवं जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल सिल्डचिट शुदा धोवन की शीशीया, सिल्ड पेन्ट का पैकेट, बरामदशुदा रिश्वत राशि, जब्त रिकॉर्ड के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिह के आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव के रिहायशी मकान नम्बर 05 आर0के0 कॉलोनी चित्तौडगढ़ पहुचा। इसके बाद समय करीब 05.15 पीएम पर आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव के रिहायशी मकान नम्बर 05 आर0के0 कॉलोनी चित्तौडगढ़ की नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा दोनो स्वतन्त्र गवाह के समक्ष फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब की जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर किये जाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद खाना तलाशी उपरोक्त अनुसार समय करीब 06.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान एवं आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव के ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पहुचा जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल सिल्डचिट शुदा धोवन की शीशीया, सिल्ड पेन्ट का पैकेट, बरामदशुदा रिश्वत राशि को मालखाने में रखने हेतु मालखाना ईचाज श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये तथा ब्यूरो चौकी पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद समय 06.10 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव उम्र 55 वर्ष निवासी कलगांव पुलिस थाना सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हाल निवासी मकान नम्बर 05 आर0के0 कॉलोनी चित्तौडगढ़ चित्तौडगढ़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ को उसके विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध मे आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व बीएनएसएस के प्रावधानों से अवगत

करा कर हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके मित्र श्री रवि मोहन शर्मा हैड कानि0 737 कार्यालय पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ़ को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक मे हस्ब कायदा मुर्तीब कर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 06.30 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ को कार्यालय का पत्रांक 2048 दिनांक 23.08.2025 द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने जारी दिया गया। जिस पर आरोपी द्वारा अपनी हस्तलिपि में अंकित किया कि मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हू। अपने हस्ताक्षर अंकित किये। उक्त पत्र बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 06.50 पीएम पर कार्यालय का पत्रांक 2066 दिनांक 23.08.2025 द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौडगढ़ को आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ का सेवा विवरण प्राप्त करने पत्र जारी किया गया। इसके बाद समय करीब 07.10 पीएम पर कार्यालय का पत्रांक 2067 दिनांक 23.08.2025 द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौडगढ़ को आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ को दिनांक 23.08.2025 को समय 6.10 पीएम पर गिरफ्तार किये जाने की सूचना हेतु पत्र जारी कर भिजवाया गया। इसके बाद समय 07.30 पीएम पर कार्यालय का पत्रांक 2068 दिनांक 23.08.2025 द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ को आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ को दिनांक 23.08.2025 को समय 6.10 पीएम पर गिरफ्तार किये जाने की सूचना हेतु पत्र जारी कर भिजवाया गया। इसके बाद समय करीब 09.15 पीएम पर श्री प्रवीण सिंह कानि0 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया कि सरकारी मोबाईल में दिनांक व समय वर्तमान कार्यवाही से भिन्न है जिस पर सरकारी मोबाईल श्री प्रवीण सिंह से लेकर दोनो स्वतन्त्र गवाह के समक्ष सरकारी मोबाईल का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि सरकारी मोबाईल जिसमें मौके की ट्रेप कार्यवाही की विडियोग्राफी रिकॉर्ड है उक्त मोबाईल में दिनांक 07 नवम्बर 2024 आ रही है व समय कार्यवाही के वास्तविक समय से 38 मिनिट आगे चल रहा है। चूंकि उक्त सरकारी मोबाईल की रिकार्डिग उक्त ट्रेप कार्यवाही का अह्म साक्ष्य है तथा उक्त मोबाईल में लगे हुए सरकारी मैमोरी कार्ड की रिकार्डिग बाबत् पेन ड्राईव तैयार किया जाना एवं हैश वैल्यू निकाली जानी है इस कारण दिनांक व समय की भिन्नता के सम्बन्ध में फर्द तैयार कर वास्तविक तथ्य अंकित करना आवश्यक है। इसके बाद समय करीब 09.25 पीएम पर सरकारी मोबाईल जिसमें मौके की ट्रेप कार्यवाही की विडियोग्राफी रिकॉर्ड है उक्त मोबाईल में दिनांक व समय की भिन्नता के सम्बन्ध में हाजरीन के समक्ष पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। उक्त सरकारी मोबाईल से गवाह श्री विनोद कुमार व्यास के मोबाईल की दिनांक व समय खोल कर स्क्रीन खुला रखकर फोटो लिया तो मोबाईल में लिये गये फोटो में सही समय व दिनांक प्रदर्शित हो रही है तथा सरकारी मोबाईल से खींचे गये फोटो की प्रोपर्टी में फोटो/ऑडीयो-विडीयो की समय व दिनांक भिन्नता निरंतर है। उक्त फोटोग्राफ की प्रिन्ट कार्यालय के कम्प्युटर से निकाली जाकर उस पर मम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.05 पीएम पर आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ का मेडिकल करवाने हेतु तहरीर जारी कर आरोपी को श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 व श्री प्रवीण सिंह कानि0 के साथ जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के राजकीय सॉवलिया जी चिकित्सालय चित्तौडगढ़ के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 10.35 पीएम पर उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 व श्री प्रवीण सिंह कानि0 हमरा श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ का मेडिकल करवा कर हाजिर कार्यालय आये। श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ को भोजन करवाया गया। इसके बाद समय करीब 10.40 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री प्रताप सिंह व आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ, के मध्य दिनांक 22.08.2025 को 08.21 पीएम पर पुलिस थाना चंदेरिया मे हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक के निर्देशन में हैड कानि जितेन्द्र सिह 132 मे से पृथक मे मूर्तिब करवायी जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद दिनांक 24.08.2025 को समय करीब 05.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री प्रताप सिंह व आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ, के मध्य दिनांक 23.08.2025 को 01.36 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर   से आरोपी के मोबाईल नम्बर   पर हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हैड कानि जितेन्द्र सिह 132 से पृथक से मूर्तिब करवायी जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 05.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के ममक्ष परिवादी श्री प्रताप सिंह व आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ, के मध्य दिनांक 23.08.2025 को 02.28 पीएम पर पुलिस थाना चंदेरिया मे हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप

रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हैड कानि जितेन्द्र सिह 132 से पृथक से मूर्तिब करवायी जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 09.27 एएम पर गवाहान के समक्ष दिनांक 22.08.2025 समय 08.21 पीएम पर पुलिस थाना चंदेरिया में आरोपी तथा परिवादी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 23.08.2025 समय 01.36 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 23.08.2025 समय 02.28 पीएम पर पुलिस थाना चंदेरिया में आरोपी तथा परिवादी के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता को कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड किया गया था जो उक्त डिवीआर मे लगे मूल मेमोरी कार्ड 32 जीबी केडिएम बरंग काला में सुरक्षित है उक्त वार्ताओं को केडीएम 32 जीबी बरंग सिल्वर 03 पेन ड्राईव में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से कॉपी करवाया गया। एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु जिसकी हैश वैल्यु निकालकर पेन ड्राईव को एक कपडे की थेली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक-एक अनसील्ड पेन ड्राईव आरोपी तथा आई.ओ हेतु तैयार किये गये। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। फर्द पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 09.53 एएम पर गवाहान एव परिवादी के समक्ष के दिनांक 23.08.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही कानि प्रवीण सिहं 349 के द्वारा सरकारी मोबाइल से रिश्वत राशि बरामदगी से सम्बन्धित जप्त आर्टिकल्स की तथा खाना तलाशी के फोटो व ऑडियो-विडियो बनाये गये थे जो मोबाईल में लगे केडीएम कंपनी का 32 जीबी बंरग काला मेमोरी कार्ड मे सुरक्षित है उक्त मेमोरी कार्ड को केडीएम 32 जीबी बरंग सिल्वर 03 पेन ड्राईव में श्री प्रवीण सिंह कानि0 से कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु जिसकी हैश वैल्यु निकालकर पेन ड्राईव को एक कपडे की थेली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक-एक अनसील्ड पेन ड्राईव आरोपी तथा आई.ओ हेतु तैयार किये गये। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। फर्द पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 10.20 एएम पर श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ को कार्यालय में निगरानी में छोड़कर एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी व स्टाफ श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के मय लेपटॉप व प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक शेर सिंह कानि0 के घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु ब्यूरो चौकी से पुलिस थाना चन्देरिया के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 10.40 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना चन्देरिया पर पहुंचा तथा परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका दोनो गवाहान के सामने नियमानुसार बनाया जाकर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया तथा बाद कार्यवाही मौके से पूर्वानुसार ब्यूरो चौकी के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 11.20 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी व स्टाफ श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के मय लेपटॉप व प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक शेर सिंह कानि0 के ब्यूरो चौकी पर पहुंचा। इसके बाद समय करीब 11.30 एएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 23.08.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही कानि प्रवीण सिहं 349 के द्वारा सरकारी मोबाइल से रिश्वत राशि बरामदगी से सम्बन्धित जप्त आर्टिकल्स की तथा खाना तलाशी के फोटो व ऑडियो-विडियो बनाये गये थे जो मोबाईल में लगे केडीएम कंपनी का 32 जीबी बंरग काला मेगोरी कार्ड मे सुरक्षित है उक्त मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर डिवीआर मे लगाकर लेपटॉप से कनेक्ट कर उसकी हैश वेल्यू श्री प्रवीण सिंह कानि0 से निकालवाई जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क M-1 अंकित किया गया। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। फर्द पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 12.15 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 22.08.2025 समय 08.21 पीएम पर पुलिस थाना चंदेरिया में आरोपी तथा परिवादी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 23.08.2025 समय 01.36 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से हुई वार्ता तथा दिनांक 23.08.2025 समय 02.28 पीएम पर पुलिस थाना चंदेरिया में आरोपी तथा परिवादी के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता को कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड किया गया था जो उक्त डिवीआर मे लगे मूल मेमोरी कार्ड 32 जीबी केडिएम बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर हेश वैल्यु निकालकर मेमोरी कार्ड को डिवीआर से निकालकर कर एक सफेद कपडे की थैली में सीलचीट किया जाकर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। मार्क M-2 अंकित किया गया। फर्द पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 01.05 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त नमूना सील की फर्द नमूना सील पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 01.15 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त नमूना सील को नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण नमूना सील पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दोनो स्वतन्त्र गवाह व परिवादी को रूखसत दी गई। इसके बाद

समय करीब 02.30 पीएम पर श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री सुनील कुमार कानि0 के हमरा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ को वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश करने हेतु जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के रवाना किया गया। बाद फारिक हो श्री ओम प्रकाश एएसआई मय स्टॉफ के कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात बताये कि मैंने आपके निर्देशानुसार गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चित्तौड़गढ़ के समक्ष जे.सी. रिमाण्ड के पेश करने हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कोर्ट परिसर चित्तौडगढ़ में गये आज राजकीय अवकाश होने से उक्त आरोपी को सम्बन्धित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौडगढ़ के समक्ष उनके निवास पर पेश किया जिस पर उनके द्वारा आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश प्रदान किये गये जिस पर आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ को जिला कारागृह चित्तौडगढ में नियमानुसार दाखिल करवाया जाकर प्राप्ति रसीद लाया हु। रसीद का अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से श्री सुभाष चन्द्र यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव उम्र 55 वर्ष निवासी कलगांव पुलिस थाना सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हाल निवासी मकान नम्बर 05 आर0के0 कॉलोनी चित्तौडगढ़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री प्रतापसिंह उर्फ प्रताप लाल के पुत्र श्री प्रदीप सिंह के विरूद्व पुलिस थाना चन्देरिया में प्रकरण संख्या 102/2025 में उसकी पुलिस जमानत लेने, केस को हल्का करने, मारपीट नही करने एवं जल्दी चालान पेश करने की एवज में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.08.2025 को 20,000 रूपये की मांग की तथा दौराने सत्यापन ही परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 10,000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय किया तथा दिनांक 23.08.2025 को परिवादी से 9,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बायी जेब में रखना पाया गया। दौराने कार्यवाही आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ के दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना व बाये हाथ के धोवन का रंग गुलाबी होना तथा अपनी पहनी हुई वर्दी की सामने की बायी जेब के धोवन का रंग गुलाबी होना पाया गया तथा दौराने कार्यवाही वजह सबूत जब्तशुदा रिकॉर्ड अनुसार आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना चन्देरिया के प्रकरण संख्या 102/2025 का अनुसंधान किया जा रहा था एवं उक्त प्रकरण में परिवादी के पुत्र श्री प्रदीप सिंह की पुलिस जमानत लिया जाना एवं चालान पेश किये जाने का कार्य पैण्डिग होना पाया गया। आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव उम्र 55 वर्ष निवासी कलगांव पुलिस थाना सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हाल निवासी मकान नम्बर 05 आर0के0 कॉलोनी चित्तौडगढ़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुभाष चन्द्र यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव उम्र 55 वर्ष निवासी कलगांव पुलिस थाना सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हाल निवासी मकान नम्बर 05 आर0के0 कॉलोनी चित्तौडगढ़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस मल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 440 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1241-44 दिनांक 25-08-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 3- पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौडगढ 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)